न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–01, गाजीपुर
उपस्थितः शक्ति सिंह–I (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O.Code –UP6352
दण्डवाद संख्या–54/2010
CNR No. UPGH010010232010

उत्तर प्रदेश राज्य ........अभियोजन।

बनाम

मु० रईस पुत्र अब्दुल रासिक, निवासी अंसारी मोहल्ला, थाना जमानियां, जिला गाजीपुर।
............अभियुक्त

मु०अ०सं०–3115/2009
धारा–27A/28/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट
थाना–कोतवाली, जनपद– गाजीपुर

## निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त मु० रईस के विरुद्ध मु०अ०सं०–3115/2009 में धारा–27A/28/29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया तथा याचना की गयी कि अभियुक्त को तलब कर साक्ष्योपरान्त दण्ड़ित किया जाये।

2. उपरोक्त आरोप पत्र के आधार पर दर्ज दण्डवाद संख्या–54/2010 में अभियुक्त मु० रईस का विचारण अन्तर्गत धारा–27A/28/29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में किया जा रहा है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक/फर्द बरामदगी के अनुसार दिनांक–03.11.2009 को प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र प्रताप सिंह मय एस.एस.आई. श्री परमानन्द द्विवेदी मय कां० 728 सिराजुद्दीन, कां० 714 जयप्रकाश सिंह, कां० 124 मनोज कुमार राय, कां० नीलेश कुमार सरोज, कां० रामचन्द्र प्रसाद मय जी सरकारी न० UP61C9191 आरक्षी चालक सियाराम सिंह के रात्रि गश्त व चेकिंग ड्यूटी में रौजा तिराहे पर मोजूद थे कि भोर

में क्षेत्राधिकारी नगर गाजीपुर श्री ओमप्रकाश पाण्डेय मय कां० 125 मिथिलेश कुमार मिश्रा, कां० भृगुनाथ यादव मय सरकारी जिप्सी न०–UP61G0037 तथा अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में नियुक्त असिस्टेन्ट कमाण्डेंट खजान सिंह मय सी.आई.एस.एफ. एस.आई. डी.सी. राम व हेड कां० एस.के. साहब तथा ए.टी.एस. पूर्वी जोन वाराणसी के एस.आई. अश्विनी चतुर्वेदी मय हमराहियान एच.सी. कमाण्डो राम सहाय यादव, कां० घनश्याम वर्मा, कां० धनन्जय राय, कां० आलोक सिंह, कां० जवाहर सरोज, कां० रणविजय तिवारी, कां० प्रभात द्विवेदी मय सरकारी वाहन व चालक आरक्षी सुशील सिंह तथा थानाध्यक्ष जंगीपुर मु० असलम सिद्दकी, कां० मुनीन्द्र पाण्डेय, कां० 40 सुरेन्द्र यादव कां० ईश्वर दयाल सिंह मय जीप सरकारी न०–UP61B7474 आरक्षी चालक यज्ञनरायन यादव आये। क्षेत्राधिकारी नगर महोदय ने बतलाया कि अभी रात में दो व्यक्ति अफीम फैक्ट्री गाजीपुर के कर्मचारी है, जो भारी मात्रा में नाजायज मार्फीन व बिक्री के रुपयों सहित थाना जंगीपुर क्षेत्र में पकड़े गये है, जिनसे पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर तत्काल अफीम फैक्ट्री कैम्पस में दबिश देनी है। इस पर हम सभी लोग क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में अफीम फैक्ट्री गाजीपुर आये। फैक्ट्री परिसर में आरक्षी सी.आई.एस.एफ. हीरालाल सिंह के आवास के सामने दो व्यक्ति खड़े दिखायी दिये। हम सभी लोग दबे पांव उक्त दिशा में बढ़े कि आरक्षी हीरालाल सिंह अपने हाथ में एक झोला लेकर अपने आवास से निकला तथा तीनों आपस में बातचीत करने लगे। अचानक अपनी तरफ पुलिस फोर्स व असिसटेन्ट कमाण्डेंट सी.आई.एस.एफ. को देखकर तीनों भागने लगे। जिन्हें हमराही पुलिस बल की मदद से समय करीब 05:30 am पर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछे जाने पर एक ने अपना नाम हीरालाल सिंह पुत्र स्व० कमला सिंह निवासी सोनपा, थाना राजपुर, जिला बक्सर (बिहार) हाल पता आरक्षी न०–903441052 सी.आई.एस.एफ. अफीम फैक्ट्री गाजीपुर बतलाया। दूसरे ने अपना नाम सत्येन्द्र कुमार सिंह पुत्र राजदेव सिंह निवासी रमपुरा, थाना दरौली, जिला सीवान (बिहार) हाल पता आरक्षी सी.आई.एस.एफ. अफीम फैक्ट्री गाजीपुर बतलाया। तीसरे ने अपना नाम देवेन्द्र कुमार पुत्र उत्तम निवासी तुलसी, थाना परसिया, जिला छिन्दवाड़ा (म०प्र०) हाल पता आरक्षी सी.आई.एस.एफ. अफीम फैक्ट्री गाजीपुर बतलाया। जिनसे भागने का कारण पूछा गया तो तीनों ने मांफी मांगते हुए बतलाया कि हम लोगों के पास नाजायज मारफीन व अफीम तथा उसकी बिक्री का रुपया है। पकड़े जाने के डर से भाग रहे थे। जिन्हें एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराते हुए तीनों की मौजूदगी में

पहले पुलिस बल की जामा तलाशी बारी–बारी से ली गयी। किसी के पास कोई अवैध मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ। इसके बाद असिसटेन्ट कमाण्डेंड सी.आई.एस.एफ. व क्षेत्राधिकारी नगर के समक्ष तीनों पकड़े गये व्यक्तियों की बारी–बारी जामातलाशी ली गयी तो हीरालाल सिंह उपरोक्त के हाथ में लिये झोले (सफेद–नीला) से एक पीले रंग की पालिथीन में मार्फीन व दूसरी पालीथीन में अफीम बरामद हुई। कां० 124 मनोज राय को भेजकर बाजार से सोनारी तराजू व बाट मंगवाकर तौल की गयी तो क्रमशः 500 ग्राम मारफीन व 300 ग्राम अफीम पायी गयी। झोले के अन्दर ही एक प्लास्टिक के डिब्बे में तीन जिन्दा कारतूस SLR के बरामद हुए। गुलाबी रंग की पालिथीन में पांच–पांच सौ के कुल 1193 नोट कुल 5,96,000/– रुपये (पांच लाख छियानवे हजार रुपये) बरामद हुए। बरामद रुपयों को अफीम व मारफीन की बिक्री से प्राप्त होना बतलाया। दूसरे व्यक्ति सत्येन्द्र कुमार सिंह के पहने हुए पैण्ट की दाहिनी जेब से एक पालिथीन के थैले से नाजायज मारफीन बरामद हुई, जिसकी तौल की गयी तो वजन 110 ग्राम पाया गया तथा शर्ट की जेब से पांच–पांच सौ रुपये के 180 नोट कुल 90000/– (नब्बे हजार) रुपये बरामद हुए। तीसरे व्यक्ति देवेन्द्र कुमार के पहने पैण्ट की दाहिनी जेब से एक पीले रंग की पालिथीन में मार्फीन बरामद हुई, जिसकी तौल की गयी तो वजन 110 ग्राम पाया गया तथा शर्ट की ऊपरी जेब से बिक्री का 160 नोट कुल 43500/– (तिरालिस हजार पांच सौ) रुपये बरामद हुआ। अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद अफीम व मार्फीन को कब्जे में लेकर भौतिक रुप से सत्यापन किया गया तो प्रथमदृष्टया अफीम व मारफीन का होना पाया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद मार्फीन, अफीम व बिक्री के रुपयों को कब्जा पुलिस में लेकर पालिथीन सहित अलग–अलग सफेद कपड़ों में सीलकर सर्वमुहर करके नमूना मुहर तैयार किया गया तथा उस पर विवरण अंकित किया गया। पूछताछ के दौरान तीनों अभियुक्तगण ने बतलाया कि हम लोगों को फैक्ट्री के अन्दर से चोरी छिपे फैक्ट्री के कर्मचारीगण अनिल उर्फ विधायक, शिववचन व पहलवान मार्फीन व अफीम देते हैं, जिसे हम लोग विभिन्न पार्टियों को सप्लाई करते हैं तथा बिक्री से प्राप्त धन में हिस्सा बांट लेते हैं। अभियुक्तगण हीरालाल सिंह, सत्येन्द्र कुमार सिंह व देवेन्द्र कुमार को जुर्म अन्तर्गत धारा–8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट बतलाकर बाजाफ्ता हिरासत पुलिस में लिया गया। फर्द मौके पर बिजली की रोशनी में बोलकर एस.एस.आई. परमानन्द तिवारी से लिखवाकर, पढ़वाकर, सुनाकर हमराही अधिकारी, कर्मचारीगण व अभियुक्तगण के हस्ताक्षर बनवाये गये। गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार आयोग व माननीय उच्चतम

न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। फर्द की नकल अभियुक्तगण को प्रदान की गयी।

**4.** वादी/प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र प्रताप सिंह की फर्द बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली में अभियुक्त हीरालाल सिंह के विरुद्ध मु०अ०स० 3115/2009 अन्तर्गत धारा–8/21 पंजीकृत किया, जिसकी चिक एफ.आई.आर की छायाप्रति पत्रावली पर मौजूद है। विवेचक द्वारा पुलिस अधीक्षक गाजीपुर की अनुमति प्राप्त कर मामले में अग्रिम विवेचना की गयी तथा मौके से पकड़े गये सहअभियुक्तगण के बयान के आधार पर दौरान विवेचना अभियुक्त मु० रईस का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त मु० रईस अन्य मामले में पूर्व से ही जिला कारागार में निरुद्ध था। विवेचक द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण में अभियुक्त मु० रईस की रिमाण्ड प्रदान किये जाने की याचना की गयी जिसके अनुक्रम में सम्बंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त मु० रईस को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

**5.** दौरान विवेचना विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से सुसंगत साक्षियों का बयान अन्तर्गत धारा–161 दं.प्र.सं. केस डायरी में अंकित किया। विवेचना के उपरान्त अभियुक्त मु०रईस के संलिप्तता पाये जाने के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्त मु० रईस के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–27A/28/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में विचारण हेतु आरोप पत्र प्रदर्श क–4 न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर अभियुक्त का विचारण कर दण्डित करने की प्रार्थना की गई।

**6.** मु.अ.सं.–3115/2009, अन्तर्गत धारा–27A/28/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना कोतवाली के प्रकरण में माननीय सत्र न्यायाधीश गाजीपुर द्वारा आदेश दिनांकित 16.08.2010 के माध्यम से आरोप पत्र मय केस डायरी का अवलोकन करने के उपरान्त अभियुक्त मु० रईस के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–27A/28/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में प्रसंज्ञान लिया गया।

**7.** दण्डवाद संख्या–54/2010 में अभियुक्त मु० रईस के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–27A/28/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट दिनांक–22.11.2016 को विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की याचना की।

**8.** अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित को परीक्षित कराया गया है–

| **क्र.सं.** | **अभियोजन साक्षी** | **साक्षी का नाम** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पी.डब्लू–1 | रविन्द्र गुप्ता |
| 2. | पी.डब्लू –2 | निरीक्षक धनन्जय पाण्डेय |
| 3. | पी.डब्लू –3 | धीरेन्द्र प्रताप सिंह रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक |
| 4. | पी.डब्लू –4 | इंस्पेक्टर राजित राम यादव |

**9.** अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रुप में पत्रावली पर निम्नलिखित साक्ष्य दाखिल किये गये हैं–

| क्र.सं. | प्रदर्श की सं० | प्रदर्श का विवरण | प्रदर्श साबित करने वाले साक्षी का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रदर्श क–1 | विवेचक हेतु जारी लिखित आदेश | पी.डब्लू–2 |
| 2. | प्रदर्श क–2 | केस डायरी बाबत धारा बढ़ोत्तरी | पी.डब्लू –2 |
| 3. | प्रदर्श क–3 | जी०डी विनष्टीकरण रिपोर्ट | पी.डब्लू –2 |
| 4. | प्रदर्श क–4 | आरोप पत्र | पी.डब्लू–4 |

इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

**10.** अभियोजन का साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्त का कथन अन्तर्गत धारा–313 दं.प्र.सं. अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने गवाहों द्वारा गलत बयान दिये जाने का का कथन किया गया है तथा यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध फर्जी तौर पर साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया। फर्जी साक्ष्य के आधार पर फर्जी मुकदमा चलाया गया है। मुल्जिमान हीरालाल पहले बरी हो चुके हैं। अभियुक्त द्वारा अपने समर्थन मे सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का कथन किया गया।

**11.** अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य में दण्डवाद संख्या–01/2010 राज्य प्रति हीरालाल सिंह में पारित निर्णय दिनांकित–31.03.2026 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है तथा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**12.** अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गम्भीरतापूर्वक

अवलोकन किया गया।

**13.** विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त मु० रईस द्वारा मादक पदार्थ मार्फीन व अफीम का व्यापार किये जाने हेतु दुष्प्रेरण और आपराधिक षडयन्त्र किया गया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गई है।

**14.** अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क रखा गया है कि अभियोजन अभियुक्त मु० रईस के विरुद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्त की अपराध कारित करने में कोई भूमिका नहीं है तथा उसको झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त के पास के कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को कोई बल नहीं मिलता है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गई है।

**15.** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य की विवेचना किये जाने के पश्चात यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त मु० रईस द्वारा मार्फीन व अफीम का व्यापार किये जाने हेतु दुष्प्रेरण और आपराधिक षडयन्त्र किये जाने सम्बंधी आरोप को सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

**16.** अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों के बयान का सारांश निम्नवत है, जिसके आधार पर न्यायालय को अपना निष्कर्ष निकालना है–

**17.** अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू०–1 रविन्द्र गुप्ता** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि मेरी पान की दुकान डाकखाने के पास सड़क की पटरी पर पश्चिम तरफ स्थित है तथा उसके ठीक सामने ओपियम फैक्ट्री स्थित है। अफीम फैक्ट्री में छापामारी मार्फीन व हैरोईन की जानकारी नहीं होती है। मैं मसूर अन्सारी निवासी युसुफपुर व कमलेश सिंह निवासी डहनवाँ वर्तमान समय में फुल्लनपुर में रहते हैं, को भी मैं नहीं जानता हूँ। अनिल उर्फ संजय निवासी खालिसपुर तथा रईस सा० जमानियां को मैं नहीं जानता हूँ। इन लोगों को ओपियम फैक्ट्री के इर्द–गिर्द घूमते हुए मैंने नहीं देखा है तथा इस बात की जानकारी की फैक्ट्री के कर्मचारी अफीम, मार्फीन की सप्लाई इन लोगों को करते हैं कि नहीं, मैंने नहीं देखा है। शिवबचन अनिल उर्फ विधायक जो फैक्ट्री के अन्दर कार्य करते हैं तथा जो चोरी से अफीम फैक्ट्री के अन्दर से चोरी से अफीम व मार्फीन लाकर उपरोक्त लोगों को सप्लाई करने की मुझे जानकारी नहीं है।

**18.** अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू० 2 निरीक्षक धनन्जय पाण्डेय** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 20.03.2010 को मैं थाना कोतवाली अन्तर्गत चौरी विशेश्वरगंज पर बहैसियत चौकी प्रभारी तैनात था। अ०सं०–3115/09, धारा–8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट विरूद्ध हीरालाल दिनांक 03.11.2009 को थाना कोतवाली गाजीपुर में पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित थी। जिसके विवेचक एस०आई० संजय सिंह के स्थानान्तरण के कारण उक्त विवेचना दिनांक 19.03.2010 को मुझे प्राप्त हुई। जिसका लिखित आदेश तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक डी०पी० सिंह द्वारा दिया गया था, जो शामिल पत्रावली कागज सं०–5ब है, जिस पर इंस्पेक्टर डी०पी० सिंह के हस्ताक्षर हैं। मैंने डी०पी० सिंह को लिखते–पढ़ते देखा है। 5ब/1 पर मैं इंस्पेक्टर डी०पी० सिंह के हस्ताक्षर की पहचान करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उक्त विवेचना मैंने 20.03.2010 को प्रारम्भ किया था। विवेचना प्रारम्भ करते हुए विवेचना ग्रहण करने के आदेश की नकल तथा पूर्व किता किये गये पर्चों का अवलोकन किया, जिसके अनुसार अभियुक्त हीरा लाल आदि ने बताया था कि उसके पास से बरामद नाजायज मार्फीन व अफीम फैक्ट्री के अन्दर से फैक्ट्री के कर्मचारीगण अनिल उर्फ विधायक, शिवबचन व पहलवान उपलब्ध कराते थे, जिसे वह अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न पार्टियों को सप्लाई करता था। जिसके आधार पर विवेचना आगे बढ़ाते हुए मैं अफीम फैक्ट्री आया और बाहर खड़े होकर आने–जाने वाले व्यक्तियों की परख कर रहा था, तो वहाँ मुझे गवाह संतोष गोस्वामी मिले, जिनका बयान केस डायरी में अंकित किया तथा विवेचना के दौरान गवाह अख्तर व गुड्डू का बयान केस डायरी में अंकित किया तथा इस मुकदमें मे साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मो० रईस, मंसूर अन्सारी, अनिल सिंह उर्फ संजय सिंह तथा कमलेश सिंह व अनिल उर्फ विधायक, शिवबचन तथा पहलवान के विरूद्ध 27A, 28 व 29 एन०डी०पी०एस० एक्ट का अपराध पाते हुए की बढ़ोत्तरी की गयी। जिसकी नकल मैंने आज सी०डी० से अपने लेख हस्ताक्षर में करके मैं दाखिल कर रहा हूँ, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। मूल जी०डी० नियमानुसार विनष्ट हो चुकी है। जिसकी विनष्टीकरण की रिपोर्ट पुलिस कार्यालय के आर०आर० द्वारा दी गयी गई है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। दिनांक 24.03.2010 को अभियुक्तगण अनिल उर्फ विधायक लगायत शिवबचन कुल सातों अभियुक्तगण की तलाश किया, जो नहीं मिले। तत्पश्चात मेरा स्थानान्तरण हो गया, बाद की विवेचना आर०आर० यादव द्वारा की गई।

**19.** अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू० 3 धीरेन्द्र प्रताप सिंह (रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक)** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 03.11.2009 को मैं बतौर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर में तैनात था। मु०अ०सं०–3115/2009, धारा–8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट में ओपियम फैक्ट्री में सी०आई०एस०एफ० में तैनात कर्मचारीगण कां० हीरालाल सिंह, कां० सत्येन्द्र कुमार सिंह व कां० देवेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया। उनके पास से क्रमशः मार्फीन, नाजायज अफीम एस०सी०आर० के कारतूस व नाजायज तरीके से बेची गयी मार्फीन, अफीम के पैसे बरामद हुए थे। इसके विवेचना के दौरान व पतारसी के दौरान अनिल उर्फ विधायक पुत्र पतिराम, निवासी चौरा, थाना शादियाबाद, गाजीपुर, पहलवान, मु० रईस पुत्र अ० राशिद, निवासी अंसारी मोहल्ला, थाना जमानियां, जनपद गाजीपुर, मंसूर अंसारी पुत्र खुर्शीदुल हक अंसारी, निवासी युसुफपुर, थाना मुहम्मदाबाद, गाजीपुर, अनिल उर्फ संजय सिंह पुत्र हरिनरायन सिंह, निवासी खालिसपुर, थाना नोनहरा, गाजीपुर, कमलेश सिंह पुत्र शोभनाथ सिंह, साकिन डहन, थाना सैदपुर, गाजीपुर हाल पता फुल्लनपुर,थाना कोतवाली, गाजीपुर, शिवबचन कुशवाहा पुत्र चतुर्थ कुशवाहा, साकिन कन्हायपुर, थाना नोनहरा, जनपद गाजीपुर का नाम अभियुक्त हीरालाल सिंह आदि के बयान तथा मुखबीर बयान व अफीम फैक्ट्री के आस–पास के बयान से मादक पदार्थों की तस्करी करने फैक्ट्री के कर्मचारी द्वारा मिलकर करने का सबूत प्रथम दृष्टया पाये जाने पर उपरोक्त मुकदमें में एन०डी०पी०एस० 1985 की दारा–27A/28/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा की बढ़ोत्तरी की गयी तथा इस मुकदमें की विवेचना करने वाले विवेचक को आवश्यक निर्देश दिया गया। मु०अ०सं०–3115/2009 धारा–8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर के मुकदमें में बाद विवेचना दिनांक 29.12.2009 को अभियुक्तगण हीरालाल आदि के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इस मुकदमें में अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। इस मुकदमें में अतिरिक्त विवेचना किया जाना आवश्यक था, जिसकी अनुमति प्राप्त करने हेतु मैंने दिनांक 10.03.2010 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय की अनुमति प्रदान करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित किया था, जो शामिल पत्रावली 5 ब/2 है। जिस पर बने अपने हस्ताक्षर को मैं तस्दीक करता हूँ।

**20.** अभियोजन साक्षी **पी.डब्लू०–4 इंस्पेक्टर राजित राम यादव** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि विवेचना 09.05.2010 को प्राप्त किया था।

एस०आई० धनन्जय पाण्डेय से प्राप्त किया था। एस.सी.डी. पर्चा नं०–4 में विवेचना ग्रहण किये थे। पर्चा नं०–5 दिनांक 15.05.2010 को किता किया गया, पूर्व के पर्चा–1, 2, 3, 4 का अवलोकन किया गया। पर्चा नं०–6 में तलबी व रिमाण्ड हेतु याचना की गयी। एस.सी.डी. 7 में उक्त मुकदमा अपराध सं०–3115/2009, अन्तर्गत धारा–8/21 एन०डी०पी०एस०, कोतवाली, गाजीपुर में दिनांक 29.12.2009 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया है। लेकिन इस मुकदमें के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने पर अग्रिम विवेचना की अनुमति मा० न्यायालय से मांगा गया था। एस.सी.डी. 8 में पूर्व में किता किये गये पर्चों को व हीरालाल के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है व अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–27A/28/29 के तहत विवेचना जारी। एस.सी.डी. 9 में इस मुकदमें के अभियुक्त रईस जरिये पैरोकार ज्ञात हुआ कि मु०अ०सं०–357/2010, अन्तर्गत धारा–8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना दिलदारनगर से गिरफ्तार होकर जिला कारागार गाजीपुर में निरूद्ध है। इसको मु०अ०सं०–3115/2009 में रिमाण्ड हेतु तलब करने की याचना की गयी। पर्चा नं०–10 में रिमाण्ड की याचना की गयी। पर्चा नं०–10 में अभियुक्त रईस के नकल रिमाण्ड का अवलोकन कर पर्चे में किता किया। एस.सी.डी. 14 में अभियुक्त रईस का जनपद कारागार में बयान लिया तथा अपने पर्चे में अंकित किया। एस.सी.डी. 17 में अनिल उर्फ संजय सिंह, शिवबचन कुशवाहा के घर दबिश दी गयी, लेकिन मौके पर नहीं मिले। एस.सी.डी. 18A में बखूबी साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त रईस पुत्र अब्दुल राशिद, निवासी अंसारी मुहल्ला जमानिया, थाना जमानियां, गाजीपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–27A/28/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट का आरोप पत्र सं०–492A/09 दिनांक 29.12.2009 को मा० न्यायालय में प्रेषित किया। वह आरोप पत्र शामिल पत्रावली 3 अ है। उसे देखकर गवाह ने अपने लेख व हस्ताक्षर को तस्दीक किया, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

**21.** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 यह प्रावधान करती है कि निर्णय की अन्तर्वस्तु में अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट किए जाने चाहिये।

**22.** अतः अभियोजन एवं अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों के आलोक में न्यायालय को निम्नलिखित विनिश्चय बिन्दुओं पर न्याय निर्णयन दिया जाना विधिसंगत एवं समीचीन होगा–

**(i). क्या अभियुक्त मु० रईस द्वारा मादक पदार्थ मार्फीन व अफीम का व्यापार किये जाने हेतु दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यन्त्र किया गया है?**

**(ii). क्या अभियोजन, अभियुक्त मु० रईस के विरूद्ध आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है?**

**निस्तारण विनिश्चय बिन्दु संख्या–(i)**

23. प्रथम विनिश्चय बिन्दु इस आशय का गठित किया गया है कि–**क्या अभियुक्त मु० रईस द्वारा मादक पदार्थ मार्फीन व अफीम का व्यापार किये जाने हेतु दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यन्त्र किया गया है ?**

24. प्रश्नगत प्रकरण में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 03.11.2009 को जब प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र प्रताप सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ रात्रिगश्त व चेकिंग ड्यूटी में रौजा तिराहे पर मौजूद थे कि भोर में क्षेत्राधिकारी नगर श्री ओमप्रकाश पाण्डेय मय हमराहियान अफीम फैक्ट्री में नियुक्त असिस्टेन्ट कमाण्डेंट खजान सिंह एवं अन्य पुलिसकर्मी आये। क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया कि ओपियम फैक्ट्री गाजीपुर के दो कर्मचारी थाना जंगीपुर क्षेत्र में पकड़े गये हैं, जो भारी मात्रा में नाजायज मार्फीन व ब्रिकी के रुपयों सहित पकड़े गये हैं और उनसे मिली जानकारी के अनुसार अफीम फैक्ट्री में तत्काल दबिश देनी है। इस पर सभी लोग जब आरक्षी हीरालाल के आवास पर पहुँचे तो हीरालाल अपने हाथ में एक झोला लेकर आवास से निकला एवं वहाँ पहले से मौजूद दो व्यक्तियों से बात करने लगा, जैसे ही उन्होंने पुलिस फोर्स को देखा तो वे लोग भागने लगे। किन्तु उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस टीम द्वारा तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें हीरालाल, सत्येन्द्र कुमार सिंह व देवेन्द्र कुमार सिंह शामिल थे। तीनों ही व्यक्ति अफीम फैक्ट्री में सी.आई.एस.एफ. में आरक्षी के पद पर तैनात थे। तीनों ही व्यक्तियों की जामा तलाशी में उनके पास से अफीम व मारफीन की बरामदगी दिखायी गयी। पूछताछ के दौरान तीनों ने यह भी बताया कि यह मादक पदार्थ हमें फैक्ट्री के अन्दर से चोरी करके फैक्ट्री के कर्मचारी अनिल उर्फ विधायक, शिवबचन व पहलवान देते थे, जिन्हें हम लोग विभिन्न पार्टियों को सप्लाई करते हैं।

25. उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर अन्य अभियुक्तगण सहित थाना कोतवाली पर अभियुक्त हीरालाल के विरुद्ध मु०अ०सं०–3115/2009 पंजीकृत किया जाता है। विवेचना के उपरान्त अभियुक्त हीरालाल सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। तदोपरान्त प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली गाजीपुर द्वारा अभियुक्त हीरालाल सिंह की

गिरफ्तारी के उपरान्त मामले में अग्रिम विवेचना की अनुमति पुलिस अधीक्षक गाजीपुर गाजीपुर से याचित की गयी। दिनांक 02.06.2010 को पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा अग्रिम विवेचना की अनुमति प्रदान की जाती है।

**26.** अभियुक्त मु० रईस अन्य मामले में पूर्व से ही जिला कारागार में निरुद्ध था। विवेचक द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण में अभियुक्त मु० रईस की रिमाण्ड प्रदान किये जाने की याचना की जाती है। उपरोक्त परिदृश्य में अभियुक्त मु० रईस को इस मामले में अभियुक्त बना दिया जाता है।

**27.** अब यदि प्रथमतः मु०अ०सं० 3115/2009 में अभियुक्त हीरालाल सिंह की बात की जाये तो उसके विरुद्ध दण्डवाद संख्या–01/2010 संचालित किया गया है। इसी प्रकार अभियुक्त हीरालाल सिंह सहित फर्द बरामदगी में नामित अन्य अभियुक्तगण सत्येन्द्र कुमार सिंह व देवेन्द्र कुमार सिंह के विरुद्ध भी अलग से दण्डवाद संचालित किये गये हैं। उक्त तीनों अभियुक्तगण की पत्रावलियों में संयुक्त रुप से निर्णय दिनांक–31.03.2026 न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जिसकी प्रमाणित प्रति अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य के स्तर पर दाखिल की गयी है। प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 31.03.2026 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त हीरालाल की गिरफ्तारी के सम्बंध में धारा 50 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का पालन न होने, धारा–100 दण्ड प्रक्रिया संहिता का पालन न होने, बरामद माल पर अभियुक्तगण, पुलिस हमराही या किसी उच्चाधिकारी के हस्ताक्षर न होने, कोई मुखबिरी मेमों तैयार न होने, धारा 57 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का पालन न होने एवं सील के सम्बंध में विरोधाभास होने के आधार पर अभियुक्त हीरालाल सिंह व अन्य अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया है। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अभियुक्तगण की मौके से गिरफ्तारी भी संदेहास्पद पायी गयी है। इससे यह स्पष्ट है कि जिस अभियुक्त हीरालाल सिंह व अन्य अभियुक्तगण द्वारा ओपियम फैक्ट्री से मादक पदार्थ प्राप्त कर इस प्रकरण में अभियुक्त मु० रईस को दिया जाना अभियोजन कहकर आया है, उपरोक्त सहअभियुक्तगण हीरालाल आदि की कोई संलिप्तता न्यायालय द्वारा नहीं पायी गयी है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में मु० रईस की संलिप्तता दिखाने हेतु जो कड़ी अभियोजन द्वारा जोड़ने का प्रयास किया गया है, वह इस स्तर पर ही टूट चुकी है।

**28.** यदि प्रश्नगत प्रकरण में परीक्षित कराये गये साक्षियों की बात की जाये तो

अभियोजन की ओर से कुल चार साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, जिसमें जनता के स्वतंत्र साक्षी के रुप में अभियोजन साक्षी पी.डब्लू 1 रविन्द्र गुप्ता को परीक्षित कराया गया है। ज्ञातव्य है कि अभियोजन कथानक के अनुसार अफीम फैक्ट्री से अफीम, मारफीन व हेरोइन की पहले भारी पैमाने पर तस्करी हुआ करती थी, किन्तु छापेमारी के बाद काफी अंकुश लगा। छापेमारी के बाद भी अभियुक्त मु० रईस फैक्ट्री के इर्द–गिर्द मड़राने लगा और हमेशा प्रयत्न में रहता था कि फैक्ट्री कर्मचारी पूर्ववत माल अफीम व मारफीन की सप्लाई करते रहे। अभियोजन कथानक के सापेक्ष स्वतंत्र साक्षी पी.डब्लू 1 रविन्द्र गुप्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में यह कहा गया है कि शिवबचन, अनिल उर्फ विधायक, जो फैक्ट्री के अन्दर काम करते हैं तथा जो चोरी से अफीम फैक्ट्री के अन्दर से चोरी से अफीम व मारफीन लाकर उपरोक्त लोगों को सप्लाई करने की मुझे जानकारी नहीं है। इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में यह कहा गया है कि उसके द्वारा **धारा 161 दं०प्र०सं० में विवेचक को ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया कि इस मुकदमें का अभियुक्त मु० रईस फैक्ट्री के इर्द–गिर्द मड़राते रहते हैं और हमेशा प्रयत्न में रहते हैं कि फैक्ट्री के कर्मचारी पूर्ववत माल की सप्लाई करते रहें, यह बयान दरोगा जी ने कैसे लिख लिया, इसकी वजह में नहीं बता सकता।**

29. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू 2 निरीक्षक धनन्जय पाण्डेय द्वारा भी अपने बयानों में यह कहा गया है कि मुकदमे के **मुल्जिम मो० रईस के कब्जे से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ था।** बल्कि अन्य अभियुक्तों एवं साक्षियों एवं जनता की गवाही के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

30. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू 3 धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अपने बयानों में यह कहा गया है कि एफ.आई.आर. कराने के पूर्व कर्मचारीगण व आमजनता के कहने पर रिपोर्ट लिखायी गयी। कोई बरामदगी नहीं हुई। **किसी सहअभियुक्त ने मुझे मुल्जिम रईस के विरुद्ध बयान नहीं दिया था और न ही उसके पास से इस मुकदमें से सम्बंधित कोई बरामदगी हुई थी।**

31. इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी.डब्लू 4 प्रभारी निरीक्षक रांजित राम यादव द्वारा अपने बयानों में यह कहा गया है कि इस मुकदमें में **अभियुक्त मु० रईस के पास से कोई माल बरामदगी का केस नहीं पाया गया। मुल्जिम के बयान के आधार पर ही आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।**

32. इस प्रकार अभियोजन की ओर से जो भी साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, उनके

बयानों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त मु० रईस के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है एवं न ही उसकी मौके से गिरफ्तारी हुई है। बल्कि एक अन्य मुकदमें में जेल में निरुद्धता के दौरान उसे प्रस्तुत मामले में भी अभियुक्त बना दिया गया है। पब्लिक का जो एक मात्र स्वतंत्र साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित कराया गया है, उसके द्वारा अभियोजन कथानक को पूर्णतया नकार दिया गया है और जो अन्य साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, उनके द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे अभियुक्त की संलिप्तता प्रस्तुत प्रकरण में प्रमाणित होती हो। सहअभियुक्त हीरालाल सिंह एवं अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा में दिये गये बयान के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई साक्ष्य जिससे अभियुक्त मु० रईस की संलिप्तता प्रस्तुत प्रकरण में प्रमाणित हो रही हो, होना नहीं बताया गया है। जिन सहअभियुक्तगण के बयान के आधार पर अभियुक्त मु० रईस की संलिप्तता प्रस्तुत प्रकरण में बतायी जा रही है, वे सभी अभियुक्तगण पूर्व मे न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जा चुके हैं।

33. यहाँ यह इस स्तर पर सहअभियुक्त के बयान के साक्ष्यिक महत्व का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। जहाँ तक सहअभियुक्त द्वारा दिये गये बयान के आधार पर अभियुक्त मु०रईस का नाम प्रकाश में आने का प्रश्न है, इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि मात्र सहअभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर अन्य साक्ष्य के अभाव में दूसरे अभियुक्त की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है।

34. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **प्रकाश कुमार उर्फ प्रकाश भुट्टो बनाम स्टेट आफ गुजरात (2007) 4 एस.सी.सी. 266** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–किसी सह–आरोपी का इकबालिया बयान, अकेले ही दूसरे आरोपी को दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं है। इस अदालत ने बार–बार यह माना है कि सह–आरोपी का इकबालिया बयान सबूत के तौर पर बहुत कमज़ोर होता है और इसका इस्तेमाल केवल दूसरे सबूतों का समर्थन करने के लिए ही किया जा सकता है।

35. उपरोक्त निर्णय विधियों के आलोक मे यह स्पष्ट है कि मात्र सहअभियुक्त द्वारा दिये गये बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि अभियोजन को अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन कथानक को ठोस साक्ष्य के आध्यम से साबित किया जाना आवश्यक है।

36. अभियोजन कथानक के अनुसार यह भी बताया गया है कि अभियुक्त मु० रईस द्वारा पुलिस के समक्ष दिये गये बयान में अपने जुर्म स्वीकृति की गयी है। जहाँ तक पुलिस

अभिरक्षा में की गयी जुर्म स्वीकृति का प्रश्न है, यहाँ **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26** का उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है–

> **26. पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना–** कोई भी संस्वीकृति, जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक, कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति में न की गई हो।

**37.** साक्ष्य अधिनियम की उपरोक्त धारा के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस अभिरक्षा में की गयी संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त मु० रईस की घटना में संलिप्तता को साबित कर पाने में असफल रहा है।

**38. द्वितीय विनिश्चय बिन्दु इस सम्बंध में कि क्या अभियोजन, क्या अभियोजन, अभियुक्त मु० रईस के विरूद्ध आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है ?**

**39.** जहाँ तक उपरोक्त विनिश्चय बिन्दु का सम्बंध है, अवधार्य बिन्दु संख्या–(i) के सम्बंध में न्यायालय द्वारा किये गये उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त मु० रईस के विषय में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, वह इस कोटि का नहीं है कि सम्पूर्ण घटना जिस प्रकार अभियुक्त की संलिप्तता बतायी गयी है, उसकी पुष्टि होती हो। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन के साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध किये गये बताये गये अभियोजन कथानक की पुष्टि न होने के फलस्वरुप अभियोजन कथानक विश्वास योग्य नहीं रह गया है।

**40.** माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **मथुरा प्रसाद मिश्रा बनाम स्टेट यू.पी. 2005(2) Crimes 144 एन.डी.पी.एस.** सम्बंधी मामले में यह अवधारित किया गया कि– अभियोजन पक्ष के मामले और साक्ष्य में तथ्यात्मक और कानूनी खामियां, अस्पष्टता और अनिश्चितता थी – दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सका।

**41.** अभियोजन का यह दायित्व होता है कि वह अपने मामले को साबित करने के लिए ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, किन्तु इस मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अपर्याप्त है। अभियोजन साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त हीरालाल व अन्य साथ मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी की गयी हो। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि

अभियोजन, अभियुक्त मु० रईस के विरुद्ध मु.अ.सं.–3115/2009, अन्तर्गत धारा–27A/28/29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

**42.** ऐसी स्थिति में अभियुक्त संदेह का लाभ पाते हुए उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

अभियुक्त मु० रईस को दण्डवाद संख्या–54/2010, मुकदमा अपराध संख्या–3115/2009 अन्तर्गत धारा–27A/28/29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त प्रकरण में जमानत पर है। उसके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

बरामदशुदा माल (यदि कोई हो तो) समाप्ति मियाद अपील विधिनुसार निस्तारित किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निस्तारित किया जावे।

अभियुक्त द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–437–ए के अधीन पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी राशि के दो प्रतिभू इस आशय के दाखिल करने पर कि यदि इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील होती है, तो अपील की नोटिस प्राप्त होने पर अभियुक्त स्वतः अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, अन्दर सप्ताह दाखिल किया जाये। यह बंधपत्र निर्णय की तिथि से छः माह के लिए प्रभावी रहेगें।

**दिनांक : 20.07.2026** **(शक्ति सिंह–I)**
**अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01,**
**गाजीपुर।**

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

**दिनांक : 20.07.2026** **(शक्ति सिंह–I)**
**अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01,**
**गाजीपुर।**

Digitally signed by SHAKTI SINGH
Date: 2026.07.20 17:50:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court